न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 07/2019

सांवरमल पुत्र पोकर जाति माली निासी सैनीपुरा तन डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
—प्रार्थीया

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल
2. रामस्वरूप पुत्र गिरधारी
3. श्रवण पुत्र गिरधारी
4. द्रोपदी देवी पत्नी गिरधारी
5. शांति पत्नी प्रेमफूल
6. सुरेश पुत्र प्रेमफुल
7. बनारसी पुत्र सुखाराम
8. रामनिवास पुत्र कन्हैयालाल
9. सुमन पुत्री कानाराम
10. कुशली देवी पत्नी पोकर
11. गीता पुत्री मोती
12. गिरधारी पुत्र पोकर
13. प्रहलाद पुत्र मोती
14. बीरबल पुत्र पोकर
15. योगेश पुत्र बजरंग
16. सुनिल पुत्र बजरंग
17. सागर पुत्र जिनकू
18. सोनी देवी पत्नी बजरंग समस्त जति माली निवासी सैनीपुरा तन डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
19. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार (भूमिधारक) नवलगढ जिला झुन्झुनू।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अं.धारा 111, 128 रा0भू0राज0 अधि0
पत्थरगड्डी करवाने बाबत।

निर्णय

निर्णय दिनांक 24—02—2020

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम सैनीपुरा पटवार हल्का डूण्डलोद की सरहद में भूमि खसरा म्बर 87 रकबा 1.13 हैक्टर स्थित है जिसकी खातेदारी आवेदक व अनावेदकगण संख्या 10 लगायत 18 के नाम से दर्जशुदा चली आ रही है जो आवेदक व अनावेदकगण संख्या 10 लगायत 18 की खातेदारी काश्त की भूमि है।

वाके ग्राम सैनीपुरा पटवार हल्का डूण्डलोद की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.76 हैक्टर स्थित है, जिसकी खातेदारी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 के नाम से दर्जशुदा है। आवेदक व अनावेदकगण संख्या 10 लगायत 18 की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 87 के उतर दिशा में अनावेदकगण 1 लगायत 9 की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 88 है। आवेदक व अनावेदकगण संख्या 10 लगायत 18 तथा अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 के मध्य सीमा बनी हुई है, परन्तु अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 आये दिन अपनी दक्षिणी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

,दशा की सीमा को कमकर मनमर्जी से आगे–पीछे करते रहते है, जिस कारण आवेदक काफी मानसिक परेशानी भुगत रहा है।

आवेदक व अनावेदकगण संख्या 10 लगायत 18 की खातेदारी काश्त की भूमि के चारो ओर सीमा बनी हुई है। आवेदक ने अपनी खातेदारी काश्त की भूमि व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 की भूमि के मध्य सीमाज्ञान करवाकर पत्थर लगाने बाबत निवेदन किया तो अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 साफ इंकार हो गये और कहने लगे कि हम तो इसी तरह सीमा को रखेगें तथा अबकी बार फसल बोंयेगे तब तेरी उतरी सीमा को तेरी ओर खिसका लेगे। इस पर आवेदक ने श्रीमान तहसीलदार महोदय नवलगढ के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 15.06.2019 को अपनी भूमि का रिकार्ड अनुसार सीमाज्ञान करवाया, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक व अनावेदकगण संख्या 10 लगायत 18 की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की सीमाओं में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 जबरदस्ती छेड़छाड कर सीमा में पत्थर नही लगाने दे रहे है, जिस कारण से आये दिन अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 से लडाई झगडा होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रार्थी/आवेदक शान्तिप्रिय व्यक्ति है, जो कानून में विश्वास रखता है। इसलिए प्रार्थी/आवेदक ने अपने खेत का सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2019 को करवा लिया तो पटवारी हल्का ने अपने सीमाज्ञान रिपोर्ट में भी इस बात का अंकन किया है कि प्रार्थी/आवेदक के खेत की नपती कर सीमा–चिन्ह बता दिये है। इसलिये आवेदक व अनावेदकगण संख्या 10 लगायत 18 की भूमि की पत्थरगड़डी करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी हालत में प्रार्थी/आवेदक के लिए यह प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का पेश करना आवश्यक हुआ। अनावेदक संख्या 19 लैण्ड होल्डर है जो आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

अनावेदकगण संख्या 10 लगायत 18 आवेदक की हिस्सेदारी भूमि खसरा नम्बर 87 के सह–खातेदार है, जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के रोज अनुपस्थित होने के कारण से उन्हे प्रार्थना पत्र में अनावेदकगण बनाया गया है ताकि प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार का दोष न रहे।

अतः आवेदक ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक व अनावेदकगण संख्या 10 लगातय 18 के खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 1.13 हैक्टर वाके ग्राम सैनीपुरा पटवार हल्का डूण्डलोद तहसील नवलगढ का सीमाज्ञान व राजस्व रिकार्ड के मुताबिक पत्थरगड्डी किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम सैनीपुरा तन डूण्डलोद संवत 2075 से 2078 के अनुसार भूमि ख.न. 87 रकबा 1.13 है0 की खातेदारी आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 10 लगायत 18 जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसका सीमाज्ञान नियमानुसार पटवारी हल्का से दिनांक 05.06.2019 को करवाया गया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। ग्राम सैनीपुरा तन डूण्डलोद की भूमि ख.न. 87 रकबा 1.13 है0 का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2019 नियमानुसार शुल्क राजकोष जमा करवाये जाकर पत्थगड्डी करवाये जाने बाबत तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 12:02:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: